न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम— डॉ.प्रतिभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 09 / 2020

1. गौरीशंकर पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नयाबास तहसील फतेहपुर—शेखावाटी जिला सीकर राज0

..................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर—शेखावाटी जिला सीकर राज0
2. पटवारी, पटवार हल्का नयाबास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

श्री विधाधर सैन— प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः— 07.04.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 के ग्राम नयाबास में कृषि भूमि खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 375 रकबा 2.3800 हैक्टयर व ग्राम भिकमसरा में कृषि भूमि खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.5000 हैक्टयर व खाता संख्या [illegible] के खसरा नम्बर 80 रकबा 7.6800 हैक्टयर व खसरा नम्बर 81 रकबा 1.1300 हैक्टयर की भूमिया अवाप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उक्त कृषि भूमियों का विरासतन नामान्तरण अंकित करते वक्त राजस्व अधीनस्थ कर्मचारियों की अनदेखी अथवा सहवन से खातेदारी में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार अंकित हो गया जबकि विरासतन नामान्तरकरण के समय ग्राम पंचायत नया बास द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम गौरीशंकर ही दर्ज किया गया तथा प्रार्थी का वास्तविक नाम गौरीशंकर ही है इसलिये प्रार्थी उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी में अपना नाम सुरेश कुमार की जगह गौरीशंकर दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाता, ड्राईविंग लाईसेन्स, मूलनिवास, पेनकार्ड, गैस कनेक्शन, शैक्षणिक दस्तावेजात, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गौरीशंकर ही अंकित है।

प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी से उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार के स्थान पर गौरीशंकर अंकित करने का निवेदन किया तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु आज से करीब पांच रोज पूर्व स्पष्ट रुप से मना करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में अंकित पटवार मंडल नया बास में अवस्थित कृषि भूमि खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 375 रकबा 2.3800 हैक्टयर व ग्राम भिकमसरा में कृषि भूमि खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.5000 हैक्टयर व खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 80 रकबा 7.6800 हैक्टयर व खसरा नम्बर 81 रकबा 1.1300 हैक्टयर की भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल के स्थान पर गौरीशंकर पुत्र मांगीलाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे।

मिसल मूर्तिव की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाता, ड्राईविंग लाईसेन्स, मूलनिवास, पेनकार्ड, गैस कनेक्शन, शैक्षणिक दस्तावेजात, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश की तथा तहसीलदार फतेहपुर की जांच रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें प्रार्थी खातेदार सुरेश कुमार पुत्र [illegible] गौरीशंकर पुत्र मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

अंकित है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नया बास में अवस्थित कृषि भूमि खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 375 रकबा 2.3800 हैक्टयर व ग्राम भिकमसरा में कृषि भूमि खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 79 रकबा 3.5000 हैक्टयर व खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 80 रकबा 7.6800 हैक्टयर व खसरा नम्बर 81 रकबा 1.1300 हैक्टयर की भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल के स्थान पर गौरीशंकर पुत्र मांगीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. प्रतिभा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:48 IST
Reason: SelfAttested